शीर्ष प्राथमिकता

संख्या:-3806/xxx(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 12 दिसम्बर 2005

विषयः- **सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए विज्ञापनों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है प्रायः यह देखने में आया है कि समय-समय पर विभिन्न विभागों द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं जिसमें आवेदन पत्र मंगाने के लिए रिक्तियों की संख्या, आरक्षित रिक्तियों की संख्या,शैक्षिक योग्यता,आयु सीमा में छूट,चयन की प्रक्रिया तथा पाठ्य विवरण के सम्बन्ध में विस्तृत उल्लेख नहीं होता है जिसके कारण आवेदकों को स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है जबकि विज्ञापनों में सभी सूचनाऐं सुस्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। समय-समय पर प्रकाशित विज्ञापनों में अंकित त्रुटियों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे हैः-

(1) विज्ञापन में कुल रिक्त पदों की संख्या दी जाती है परन्तु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है इसी प्रकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती में दृष्टिवाधिता, श्रवण ह्रास, चलन क्रिया तथा प्रमस्तकीय अंगघात प्रत्येक के लिए एक-एक प्रतिशत कुल तीन प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण के आधार पर किस-किस प्रकार की निःशक्तता के लिए कितने पद आरक्षित हैं इसका उल्लेख भी विज्ञापन में नहीं किया जाता है जबकि रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करते समय कुल रिक्त पदों की संख्या रिक्त पदों में रोस्टर क्रमांक के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों एवम् अनारक्षित पदों की संख्या पृथक-पृथक अंकित की जानी चाहिए जिससे आरक्षित पदो के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट रहे। इसी प्रकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों पर सीधी भर्ती में क्षैतिज

आरक्षण के रूप में प्रत्येक प्रकार की निःशक्तता के लिए कितने पद आरक्षित हैं इसका उल्लेख भी विज्ञापन में स्पष्ट रूप से किया जाना आवश्यक है।

(2) प्रायः विज्ञापनों में यह भी देखने में आया है कि जिन वर्गो को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है उनके संबंध में यह अंकित कर दिया जाता है कि " समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जितनी छूट आयु सीमा मे विर्निदिष्ट की जाय" इससे आवेदक को यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस आयु सीमा तक उसे छूट प्राप्त होगी जबकि नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट तथा निःशक्त व्यक्तियों को समूह 'क' एवं 'ख' के पदों के लिए अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है अतः विज्ञापन में श्रेणीवार/ वर्गवार आयुसीमा में अधिकतम छूट को अंकित किया जाना चाहिए।

(3) सेवा नियमावलियों में सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु शैक्षिक योग्यता व अन्य योग्यताओं का उल्लेख रहता है तथा कतिपय सेवा नियमावलियों में अधिमानी याग्यताए भी अंकित होती है विज्ञापनों में अधिमानी योग्यताओं का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(4) तकनीकि पदों यथा कनिष्ठ अभियन्ता,सहायक अभियन्ता आदि के पदों के लिए सीधी भर्ती के चयन में अप्रेंटिसों को अन्य बातें समान होने पर चयन में वरीयता प्रदान करने व रोजगार कार्यालय में पंजीकरण से छूट प्रदान की गई है इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–736/कार्मिक–2/2003,3 जून 2003 द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में तद्नुसार आवश्यक संशोधन कर लिया जाय। जिन पदों के लिए अप्रेंटिस द्वारा भी आवेदन किया जाना है उनके विज्ञापन में अप्रेंटिसों को वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में व रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की छूट के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(5) विज्ञापन में पद के लिए चयन प्रकिया यथा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार अथवा केवल साक्षात्कार अथवा केवल लिखित परीक्षा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम क्या रहेगा तथा परीक्षा वस्तुपरक(objective) प्रश्नों की होगी अथवा विषयात्मक (subjective) प्रश्नों की होगी।

2– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु आवेदन पत्र मंगाने के लिए उपरोक्त निर्देशों के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्याः3806 /xxx(2)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नाकितों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
2– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव